## झारखण्ड सरकार
## श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

### अधिसूचना

राँची, दिनांक–..............................

एस०ओ०..............................

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 यथासंशोधित, 2005 (संशोधन नंबर–41, 2005) के धारा–15 की उपधारा (1) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या–2 / श्रमा०का०(म०भु०अ०)–01 / 2008, श्र०नि०– 752 / राँची, दिनांक–05.06.2009 के माध्यम से विभिन्न पदाधिकारियों को प्राधिकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा–(1) (सी) के अन्तर्गत प्रावधानित सहायक श्रमायुक्तों को (जिन्हें कम से कम दो वर्षो का कार्य का अनुभव हो) प्रावधान के आलोक में संबंधित क्षेत्र के उप श्रमायुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार में सहायक श्रमायुक्त के रूप में प्राधिकार को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया जाता है।

परन्तुक अधिनियम की धारा 15 की उपधारा–(1) (सी) के तहत अहर्ताधारक सहायक श्रमायुक्त पदस्थापित रहने पर पूर्व में निर्गत अधिसूचना के आलोक में उनके द्वारा ही प्राधिकार को प्रदत शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

सं०सं० 02 / श्रमा०का०–P.W(प्रधि0नि0)–08 / 2023 श्र०नि०......42....... / राँची, दिनांक–05/01/2024

**झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**

ह०/- 04/01/2024
अवर सचिव,
श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

### अधिसूचना

राँची, दिनांक–05/01/2024

एस०ओ०..............................

अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद से 348 के खण्ड–3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका अधिकृत पाठ समझा जाएगा।

सं०सं० 02 / श्रमा०का०–P.W(प्रधि0नि0)–08 / 2023 श्र०नि०......43....... / राँची, दिनांक–05/01/2024

**झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**

ह०/- 04/01/2024
अवर सचिव,
श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

**Notification**

**Ranchi, Dated-..........................**

**S.O..........................**

In exercise of the powers conferred by section 15 of sub section (1) (c) of the Payment of Wages Act, 1936 as amended in 2005 (Amendment No.41, 2005), the Department of Labour, Employment, Training and Skill Development issues Notification No-2/Labor Code (P.W.A)-01/2008, L&E-752/Ranchi dated- 05.06.2009, through which various officials have been appointed as authorities.

Under sub-section (1)(c) of section 15, there is a provision for appointing authority to the Assistant Labour Commissioners (who have at least two years of work experience).In the light of the above provision, Deputy Labour Commissioners of the concerned area are appointed as Assistant Labour Commissioners to exercise the powers granted to the authority under the jurisdiction.

Provided that under sub-section (1)(c) of section 15 of the Act, the qualified Assistant Labour Commissioner will exercise the powers as the authority only in the light of the notification issued earlier.

File No.02/Shrama.Ka.-P.W(pradi.ni.)-08/2023, L&E,......42..../Ranchi, Dated-...05.01.2024

**By the order of Governor of Jharkhand.**

Sd/- 04/01/2024
Under Secretary,
Office of The Labour Commissioner,
Jharkhand

ज्ञापांक : 02/श्रमा०का०–P.W(प्रधि0नि0)–08/2023 श्र०नि०....42......./राँची, दिनांक–05/01/2024

**प्रतिलिपि** : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 04/01/2024
अवर सचिव,
श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक : 02/श्रमा०का०–P.W(प्रधि0नि0)–08/2023 श्र०नि०.......42..../राँची, दिनांक–05/01/2024

**प्रतिलिपि** : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को राजपत्र (गजट) के आगामी असाधारण अंक के प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र (गजट) की 500 प्रतियाँ श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को उपलब्ध करावें।

ह०/- 04/01/2024
अवर सचिव,
श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक : 02 / श्रमा०का०–P.W(प्रधि0नि0)–08 / 2023 श्र०नि०....42...../राँची, दिनांक–05/01/2024

**प्रतिलिपि** :सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद (केन्द्रीय) श्रम शक्तिभवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्य गण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,रांची/ निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

04/01/2024
अवर सचिव,
श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।